

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग—9
संख्या— 316 /XXVII(9) /स्टाम्प /2008
देहरादून: दिनांक 05 सितम्बर, 2008

अधिसूचना

उत्तराखण्ड में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में समय—समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या—2 सन् 1899) की धार—9 की उप—धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुये, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सिडकुल) द्वारा एल्डिको—सिडकुल इण्डस्ट्रीयल पार्क लिमिटेड, सितारगंज के संयुक्त उपक्रम के पक्ष में आबंटित की जाने वाली भूमि पर सिडकुल के द्वारा निर्धारित प्रीमियम रु0 2.85 लाख प्रति एकड़ की दर से दिनांक 30. 09.2008 तक स्टाम्प शुल्क लिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
(एस०एस० पन्त)
सचिव।

संख्या— 316 (1)/वित्त अनुभाग—9/स्टाम्प /2008 तददिनांक

उप—निदेशक लिथों प्रेस, रुडकी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अधिसूचना को आगामी गजट में प्रकाशित कराते हुए इसकी 200—200 प्रतियाँ शासन के वित्त अनुभाग—9 को उपलब्ध करा दें।

आज्ञा से,

(एस०एस० वल्डया)
उप सचिव।

संख्या— 316 (2)/वित्त अनुभाग—9/स्टाम्प /2008 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊ एवं गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सिडकुल) देहरादून।
6. न्यायी/विधायी विभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस०एस० वल्डया)
उप सचिव।